MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th September, 2008

G.S.R. 186.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, No. G.S.R. 4 of 2008 dated the 2nd January, 2008, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 12th January, 2008,—

At pages 11 and 12 (Hindi version), for the figures "2007", read "2008";

At page 14, for the figures "2007", read "2008";

[F. No. A-12018/1/04-E.II-ES]
D. K. ROY, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2008

सा. का. नि. 187.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अन्वेषण नलकूप संगठन (श्रेणी-1 और श्रेणी-2 सेवा) भर्ती नियम, 1963 को, जहां तक उनका सम्बन्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
प्रशासनिक अधिकारी	20* (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ख') राजपत्रित, अनुसचिवीय	7500-250-12000 रु.	चयन	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
7	8	9
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। (ii) प्रशासन, लेखा और स्थापन कार्य में पाँच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : सरकारी नियमों और विनियमों का ज्ञान। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
10	11	12
सीधे भर्ती किए गए और प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : 5500–9000 रु. के वेतनमान में ऐसा कार्यालय अधीक्षक जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर ऐसे कार्यालय अधीक्षक, जिन्होंने कार्यालय अधीक्षक और सहायक की श्रेणी में दस वर्ष नियमित सम्मिलित सेवा की हो जिसमें से कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा कार्यालय अधीक्षक की श्रेणी में हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : 1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी— (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 6500–10500 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; और (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5500–9000 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की हो; और

12
(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो।
टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य 3. उप सचिव (भूमिगत-जल), जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य 4. वित्त और लेखा अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य	सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 21/2/98-जी.डब्ल्यू-1]

म. ना. सुकुमारन, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 6th October, 2008

G.S.R. 187.—In exercise of the powers conferred by the President in proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Exploratory Tubewells Organisation, (Class I and Class II Services) Recruitment Rules, 1963, in so far as they relate to the post of Administrative Officer except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Administrative Officer Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.** —No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Service men and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Secretariat Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Administrative Officer	20* (2008) *Subject to variation dependent on on workload	General Central Service, Group 'B' (Gazetted) Ministerial	Rs. 7500-250-12000	Selection	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
7	8	9
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lauhal and Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of	**Essential :** (i) Bachelor's Degree of a recognised University or equivalent; (ii) Five years experience of Administration, Accounts and Establishment work. **Desirable :** Knowledge of Government Rules and Regulations. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is(are) relaxable at the discretion of the Union Public Service	Not applicable

7	8	
Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribe, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities is not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	

Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grade from which promotion deputation/absorption to be made
10	11	12
Two years for direct recruits and promotees.	Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	**Promotion :** Office Superintendent in the scale of pay of Rs. 5500-9000 with seven years regular service in the grade failing which Office Superintendent with ten years combined regular service in the grade of Office Superintendent and Assistant, out of which at least four years should be the regular service in the grade of Office Superintendent. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Officers under the Central or State Government or Union territories, (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8).

12
Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/confirmation) consisting of : 1. Chairman, Central Ground Water Board — Chairman 2. Director (Administration), Central Ground Water Board — Member 3. Deputy Secretary (Ground Water), Ministry of Water Resources — Member 4. Finance and Accounts Officer, Central Ground Water Board — Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

[F. No. 21/2/98-GW. I]

M. N. SUKUMARAN, Under Secy.

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2008

सा. का. नि. 188.—भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून के सहायक निदेशक (लेखा) के पद के लिए भर्ती नियमों के संबंध में इस मंत्रालय की दिनांक 5 फरवरी, 2008 की समसंख्यक अधिसूचना में भर्ती नियमावली अधिसूचना के पैरा 1(1) लघुशीर्ष और प्रारंभकों ''इन नियमों को भारतीय वन सर्वेक्षण सहायक निदेशक (लेखा) भर्ती नियमावली, 2007 कहा जाएगा'' के स्थान पर ''इन नियमों को भारतीय वन सर्वेक्षण, सहायक निदेशक (लेखा) भर्ती नियमावली, 2008 कहा जाएगा'' पढ़ा जाएगा।

[फा. सं. 6-7/2003-एफ ई (सहायक निदेशक लेखा)]

मालती रावत, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th October, 2008

G.S.R. 188.—In the Ministry's notification of even number dated 5th February, 2008, regarding Recruitment Rules for the post of Assistant Director (Accounts), FSI, Dehradun in the para 1(1) of Notification of the Recruitment Rules, Short title and Commencement may be read as "These rules may be called the Forest Survey of India, Assistant Director (Accounts) Recruitment Rules, 2008" instead of "These rules may be called the Forest Survey of India, Assistant Director (Accounts) Recruitment Rules, 2007".

[F. No. 6-7/2003-FE (Assistant Director Accounts)]

MALTI RAWAT, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 2008